

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/ 5412

दिनांक - 20/06/25

प्रार्थनी बनाम
1 केसी पत्नि
चनणाराम जाति
जाट निवासी कुर्जा
तहसील व जिला
बाड़मेर।

अप्रार्थीगण


1 चूनाराम 2 पूराराम 3 मालाराम पिसरान प्रहलाद
राम 4 फूली देवी पत्नी प्रहलाद राम 5 भोमाराम 6
गंगाराम पिसरान धीराराम 7 देवी पत्नी ठाकराराम
निवासी कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर 8 गोमी देवी
पत्नी रेवन्त सिंह 9 हेमकान्ता पत्नी शैतान सिंह 10
कपिल पुत्र रामदान 11 महिपाल सिंह पुत्र रेवंत सिंह
12 राकेश पुत्र शैतान सिंह नाबालिग जरिये कुदरती
वली माता हेमकान्ता पत्नी शैतान सिंह 13 वीरपाल
सिंह पुत्र रेवंत सिंह निवासी पुराना जाटावास बाड़मेर
तहसील व जिला बाड़मेर 14 केकु देवी पत्नी रामदान
निवासी वांकलसर जिला बाड़मेर 15 श्रीमान
तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 110/2025

दिनांक-11/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पिण्डियों का तला पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 242/235 रकबा 1.0418 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

बाड़मेर 20/06/2025

क्रमांक :- रीडर/2025/ 25413-16
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थनी केसी पत्नि चनणाराम जाति जाट निवासी कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण चूनाराम पुत्र प्रहलाद राम निवासी कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर